



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2019/पार्ट-॥ 25695 जयपुर, दिनांक: 6/7/22

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियमों के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ सहायको को वरिष्ठ सहायक (पे-लेवल L-08) के रिक्त पद पर रिक्ति दिनांक 01.04.2022 से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	पदोन्नति पर पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री रविराज मिश्रण	सहायक निदेशक, म.अ., बून्दी	वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., बून्दी
2.	श्री रमेश चन्द शर्मा	निदेशालय म.अ., मुख्यालय	वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., दौसा
3.	श्री विकास सैनी	निदेशालय म.अ., मुख्यालय	वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद कार्यालय सहायक निदेशक, म.अ., टोंक

उक्त पदोन्नत कार्मिक को वित्तीय नकद लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।

क्रम संख्या 02 एवं 03 के कार्मिक को पदोन्नति होने के फलस्वरूप तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

(रामावतार मीणा)

आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक : प 1(1)(70) मअ/स्था/2019/पार्ट-॥ 25696-70/ जयपुर, दिनांक: 6/7/22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. आहरण वितरण अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बून्दी, दौसा, टोंक।
4. प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कार्मिक श्री.....।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, मअ